(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 36/2022 **दायर दिनांकः 01.04.2022**

उनवान

1. बालचन्द पि. दूधालाल जाति दांगी नि. सुवांस तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. बादामबाई पत्नि बापूलाल जाति दांगी नि. सुवांस तहसील रायपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री हुकुमचन्द कुमावत

निर्णय दिनाकः 11.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता दूधालाल पि. मन्ना जाति दांगी नि. सुवांस की खातेदारी में ग्राम सुवांस तहसील रायपुर के खाता सं. 284 की किता 11 रकबा 7.5879 हेक्टर भूमि है जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/5 हिस्सा है। उक्त खाते की आराजियात में से ख.नं. 147 रकबा 0.0759 हेक्टर, ख.नं. 149 रकबा 0.5817 हेक्टर भूमि प्रार्थी के पिता ने पारिवारिक बंटवारे में प्रार्थी को दे रखी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। ख.नं. 147 व 149 पर आने जाने के लिए आम रास्ते से होकर ख.नं. 146 की उत्तरी मेड तथा ख.नं. 150 की दक्षिण मेड से होकर रास्ता निकलता है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास आने जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। ख.नं. 146 के खातेदार अप्रार्थीया प्रार्थी को निकलने नहीं दे रही है। इसलिए प्रार्थी रास्ते के लिए डीएलसी दर से राशि जमा कराकर धारा 251 ए रा.टी.एक्ट के [illegible] फीट चौडा रास्ता ख.नं. 146 की उत्तरी मेड पर प्राप्त करना चाहता है क्योंकि काफी समय से इस रास्ते के संबंध में विवाद चल रहा है और प्रार्थी की आराजी ख.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

147 व 149 पर अप्रार्थी द्वारा आने जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने के लिये 15 फीट चौडा रास्ते की आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थी को ट्रेक्टर, बैलगाडी व पैदल आने जाने के लिए अपनी आराजी ख.नं. 147, 149 तक पहुँचने के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है ताकि विवाद समाप्त होकर हमेशा के लिए प्रार्थी का रास्ता राजस्व नक्शे में दर्ज हो सके। धारा 251 ए रा.टी.एक्ट के तहत माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है इसलिये प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम सुवांस तहसील रायपुर के ख.नं. 146 की उत्तरी मेड से 15 फीट चौडा रास्ता में आने वाली भूमि का सीमांकन करवाया जाकर उसकी डीएलसी दर राशि जमा करवाकर रास्ता अप्रार्थी से दिलाया जाकर राजस्व नक्शे में अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का चरण सं. 1 राजस्व रिकार्ड सहखातेदारी से संबंधित है जो स्वीकार है। इसी भूमि में अप्रार्थी का भी हक व हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज है। चरण सं. 2 में दूधालाल की खातेदारी की आराजी है। तथा पारिवारिक बंटवारे में दूधालाल को प्राप्त है परन्तु दूधालाल ने प्रार्थी को बंटवारे में भूमि ख.नं. 147 व 149 देखा है, गलत है। भूमि पर दूधालाल का व उसके परिवार के सदस्य काबिज है तथा काश्त ख.नं. 149 पर करते है। पारिवारिक बंटवारा स्वयं प्रार्थी का कथन है जिसके संबंध में साबित प्रार्थी को करना है। चरण सं. 3 वर्णित रास्ता काल्पनिक, मन माफीक एवं असंगत है। ऐसा कोई रास्ता ख.नं. 149 पर पहुँचने का ख.नं. 146 व 150 पर मौजूद नहीं है। समस्त चरण असत्य, काल्पनिक, असंगत तथ्यहीन होने से अस्वीकार है। यह रास्ता प्रार्थी नया बनाना चाहता है जो कि अस्वीकार है। प्रार्थी के पास सुगम, सरल रास्ता ख.नं. 119 दर्ज राजस्व रिकार्ड में है। ख.नं. 149 ख [illegible] लगा हुआ है। वर्तमान में, भूतकाल में यही रास्ता [illegible] है। इस चरण में धारा 251ए रा.टी.एक्ट का [illegible] है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी धारा 251ए रा.टी.एक्ट का गलत सहारा लेकर अप्रार्थी के ख.नं. 146 पर रास्ता बनाना चाह रहा है। जो गलत है। यह भी अस्वीकार है कि ख. नं. 150 का 1/2 भाग दक्षिण भाग अप्रार्थी के पति को पारिवारिक बंटवारे में मिला है तथा 1/2 भाग बालमुकन्द के पुत्रों के पास है। ख.नं. 150 का दक्षिण भाग एवं ख.नं. 146 को मिलाकर अप्रार्थी ने एक ही खेत का स्वरूप किया है। ख.नं. 150 के मध्य पूर्व से पश्चिम लम्बाई में मेड स्थित है जिस पर सभी सहखातेदारान जिन्हे पानी के सिंचाई की आवश्यकता है वे ख.नं. 151 कुएं से सिंचाई करने के लिए आते जाते है। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ख.नं. 150 व 146 में मौजूद नहीं है। प्रार्थना पत्र क चरण सं. 4 गलत अंकित किया है। ख.नं. 147 रकबा 0.0759 हे. झादा है जो पारिवारिक बंटवारे में अप्रार्थी के परिवार के पास कब्जे में है। प्रार्थी ने ख. नं. 147 का को प्रार्थी ने वर्णन गलत किया है। सभी तथ्य प्रार्थी ने काल्पनिक एवंत थ्यहीन दर्ज किये है। इस कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण सं. 5 कानूनी है। प्रार्थना पत्र पोषनीय एवं स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारीज फरमाया जावे। **विशेष आपत्तियो** में निवेदन किया कि अप्रार्थी नें वर्णन किया कि वादग्रस्त आराजी का खातेदार दूधालाल है इस कारण प्रार्थी बालचन्द को प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनन अधिकार नहीं है। प्रार्थी दूधालाल का नियुक्त व्यक्ति भी नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अविधिमान्य है। इस कारण तकनिकी त्रुटी के कारण प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। पारिवारिक बंटवारे में वादग्रस्त भूमि मन्नाजी एवं बालमुकन्द के वारीसान को प्राप्त हुई है तथा भूमि सहखातेदारी की है। खाता अलग अलग कानूनी रूप से नहीं हुआ है। कानूनी बंटवारा होकर राजस्व रिकार्ड में भूमि अलग खाता प्रार्थी के नाम नहीं है। दूधालाल का भी कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण कानूनी रूप से प्रार्थना पत्र में सभी सहखातेदारान आवश्यक पक्षकार है। इसके अभाव में असंयोजन पक्षकार का होने से प्रार्थना पत्र विधिमान्य नहीं होकर मेन्टेबल नहीं होने से खारीज किया जावे। ख.नं. 149 का सनातनी रास्ता वर्षो से ख.नं. 119 दर्ज राजस्व रिकार्ड में होकर [illegible] है। [illegible]री नक्शा में ख.नं. 149 का रकबा खाता [illegible] हुआ है। जहां पर आराजी में पैदल, बै[illegible] लाये [illegible] जा सकते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तथा सही रास्ता भूतकाल एवं वर्तमानकाल में ख.नं. 149 के कब्जे धारी काश्तकार के उपयोग में आता है जो चालू, सुगम सरल रास्ता है जिसका उपयोग ख.नं. 142 के काश्तकार तथा 149 के काश्तकार रकते है। यह रास्ता ख.नं. 119 का आगे जाकर उत्तर दिशा में अन्य खसरा नं. तक जाता है। प्रार्थी जो रास्ता माननीय न्यायालय में वर्णित करता है तथा डीएलसी दर से 15 फीट की चौडाई का प्राप्त करना चाहता है। गलत है। धारा 251 आर.टी.एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि खातेदार अपनी इच्छा से मन पसन्द रास्ता प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी की मंशा दूषित है। उसको जलन है कि अप्रार्थी व परिवार के सदस्यों ने ख.नं. 150 का दक्षिण भाग एवं ख.नं. 146 को मिलाकर एक ही खेत का स्वरूप किया है। इस एक स्वरूप को खण्डित करने की दूषित नियत से दोनो के मध्य 15 फीट चौडाई का रास्ता प्राप्त कर खेत के दो भाग कर दिये जावे। यह दूषित मनोदशा का ही परिणाम है यह प्रार्थना पत्र 251 ए रा.टी.एक्ट पेश करना रहा है। जिसमें प्रार्थी सफल होना चाहता है। प्रार्थी की दूषित नियत का समर्थन प्रार्थी के पिता दूधालाल, भाई हजारीलाल भी नहीं करते है। इस कारण प्रार्थी दूषित हाथों से माननीय न्यायालय में उपस्थित हेकर पिता की बिना सहमति से उपस्थिति बिना नियुक्ति के यह प्रार्थना पत्र बिना खातेदारी अधिकार के प्रस्तुत किया है जो खारीज योग्य है। प्रार्थी ताकतवर झगडालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके व्यवहार से परिवार में डर रहता है। इस कारण अपने बहूबल का उपयोग करता है तथा गलत प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी को व परिवार के सदस्यों को तंग व परेशान करता है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। प्रार्थी ने धारा 251 रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र 02/2020 तहसीलदार पिडावा के न्यायालय में पेश किया है जो तहसीलदार रायपुर को स्थानान्तरित होकर जैरकार है। इसके बावजूद प्रार्थी धारा 251 ए रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र लेकर आया है जो पोषनीय नहीं है। तहसीलदार पिडावा द्वारा भी रास्ते के संबंध में तत्कालीन पटवारी एवं कानूनगो से रिपोर्ट तलब की थी जिसमें ख.नं. 149 का रास्ता चालू व उपयोगी ख.नं. 119 दर्ज रास्ते में बताया है। अर्थात खातेदार दूधालाल के पास ख.नं. 149 में पहुँचने का रास्ता मॉजूद है। इसके विपरीत खातेदार दूधालाल का पुत्र बालचन्द गलत प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

लगाकर अप्रार्थी की भूमि की उपजाउ शक्ति खत्म करने भूमि संकमण करने हानि पहुँचाने एवं अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की दूषित नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पोषनीय नहीं है। खारीज किया जावे। जब तक धारा 251 रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तक तक धारा 251 ए रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। कानूनी दृष्टि से निरस्त होने योग्य है।

3. पैरोकार सरकार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2022/643 दिनांक 22.04.2022 से जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है –

(1) ग्राम सुवांस के खाता सं. 284 किता 11 रकबा 7.5871 हैक्टर भूमि शामलाती खाते में है।

(2) ख.नं. 147 रकबा 0.0789 हेक्टर गे.मु.चाह मौके पर झादा ख.नं. 149 में है जो दूधालाल पि. मन्ना के हिस्से में पारिवारिक बंटवारे के मौके पर काबिज है।

(3) ख.नं. 147 व 149 पर आने जाने के लिये आम रास्तो से होकर ख.नं. 146 की उत्तरी मेड एवं ख.नं. 150 की दक्षिण मेड से होकर निकलने के लिये प्रार्थी रास्ता चाहता है।

(4) प्रार्थी आने जाने के लिये 15 फीट चौडा रास्ता ट्रेक्टर, बैलगाडी व पैदल रास्ता ख.नं. 146 में चाहता है।

रिकार्ड एवं मौके के अनुसार एवं उपस्थित ग्रामवासियान के अनुसार ख.नं. 147 व 149 पर आने जाने हेतु ख.नं. 149 से लगा हुआ ख.नं. 124 रकबा 0.1644 हे.गे.मु.रास्ता खाता सरकार से लगा हुआ है जो इसमें आसानी से आ जा सकता है। ख.नं. 151 रकबा 0.0885 गे.मु.चाह शामलाती खाता सं. 284 में दर्ज है एवं ख.नं. 150 से पगडंडी रास्ते से ख.नं. 149 तक जाती है। सिंचाई के लिए पाईपलाईन भी मौके पर ख.नं. 150 में होकर सिचित हो रही है जो वर्तमान में पडत पडी हुई है। अप्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं रोक रहा है। [illegible] नक्शा संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम सुवांस के खाता सं. 284 की जमाबंदी सं. 2072–75, खाता सं. 160 की जमाबंदी सं. 2072–75 की सत्यप्रति व नक्शा ट्रेस दिनांक 28.03.2022 प्रस्तुत किया।

5. अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ग्राम सुवांस का अप्रामिणत नक्शा ट्रेस, न्यायालय तहसीलदार रायपुर में दर्ज प्रकरण सं. 2/2020 बालचन्द बनाम बापूलाल अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट की आदेशिका की फोटोप्रति, पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट की फोटोप्रति, ग्राम सुवांस की वादग्रस्त आराजी का नजरी नक्शे की सत्यप्रति एवं न्यायिक दृष्टांत जगदीश बनाम केसराराम 2021(2) आर.आर.टी 1286 की प्रति पेश की गई।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम सुवांस में प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि आराजी ख.नं. 147 रकबा 0.0759 हेक्टर, ख.नं. 149 रकबा 0.5817 हेक्टर भूमि तक आने जाने एवं कृषि उपकरण ले जाने हेतु वर्षो से व्यवस्था के रूप में मुख्य सडक ख.नं. 152 से अप्रार्थी के ख.नं. 146 एवं 150 की मेड पर होकर गुजरते आये है और मौके पर कच्चा रास्ता भी बना हुआ है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होकर अप्रार्थी के खातेदारी/सहखातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी तक कृषि उपकरण ले जाने और आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की ख.नं. 150 की दक्षिण मेड के सहारे गढी सिचाई पाईप लाईन को भी उखाड कर फेक दिया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः कथन किया गया कि यह रास्ता प्रार्थी की अतिआवश्यक है और पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यदि प्रार्थी को उसकी आराजी तक पहुंच के लिए रिकार्डेड रास्ता नहीं दिया गया तो उसकी भूमि पडत रह जायेगी जिससे उसके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जायेगा। प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु सबसे छोटा रास्ता भी यहीं से है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर करीब 15 फीट चौडाई रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थी रास्ते की भूमि का डी0एल0सी0 की दूगनी या न्यायालय के आदेश अनुसार अप्राथी को क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने को तैयार है।

7. अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं का पूजोर विरोध कर अपने जवाब प्रार्थना पत्र एवं विशेष आपत्तियों में अंकित बिन्दूओ को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम सुवांस स्थित प्रार्थी की आराजी ख.नं. 149 का सनातनी रास्ता वर्षो से ख. नं. 129 किस्म गे.मु.रास्ता में होकर पहूँचता है। ख.नं. 149 रास्ते के ख.नं. 129 से लगा हुआ है और मौके पर चालू है। यह रास्ता ख.नं. 119 का आगे जाकर उत्तर दिशा में अन्य खसरा नं. तक जाता है। अतः प्रार्थी को उसकी आराजी पर पहूँच हेतु रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थी अपनी सुविधा के लिए अप्रार्थी की आराजी ख.नं. 146 की उत्तरी मेड से होकर रास्ता चाह रहा है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी खातेदार को अपनी इच्छा से मन पसन्द रास्ता प्राप्त दिया जा सकता है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा आगे कथन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी ख.नं. 147 व 149 का खातेदार कृषक नहीं है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजीख.नं. 147 व 149 प्रार्थी के पिता दूधालाल व 12 अन्य लोगो की सहखातेदारी में दर्ज है। अतः सभी सह खातेदारो की लिखित सहमति के बिना प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने पिता दूधालाल व भाई हजारीलाल की बिना सहमति व बिना नियुक्ति के पेश प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा आगे बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से धारा 251 रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र 02/2020 बालचन्द बनाम बापूलाल व अन्य तहसीलदार के न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 28.04.2022 को खारीज किया जा चुका है। इसके बावजूद प्रार्थी धारा 251 ए रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र लेकर आया है जो पोषनीय नहीं है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा रास्ते के संबंध में [illegible] पटवारी एवं कानूनगो से रिपोर्ट तलब की थी जिसमें ख.न. 14[illegible] रास्ता चालू व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(11)

उपयोगी ख.नं. 119 दर्ज रास्ते में बताया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

8. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि मौके के अनुसार एवं ग्रामवासियान के अनुसार ख.नं. 147 व 149 पर आने जाने हेतु रिकार्डेड रास्ता ख.नं. 129 में होकर बना हुआ है जो मौके पर चालू है और जिसमें होकर प्रार्थी अपने आराजी तक आसानी से आ–जा सकता है। अप्रार्थीगण कोई रास्ता नहीं रोक रहा है। वस्तु स्थिति संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाई गई है।

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं पेश न्यायिक दृष्टांत को सम्मानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तों के पालना जरूरी है:–

(i) टीनेन्ट होना आवश्यक है – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए (1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपनी आराजी पर पहुँच हेतु नवीन रास्ता चाहने के लिए आवेदक/प्रार्थी का टीनेन्ट होना आवश्यक है। टीनेन्ट से भिन्न किसी कब्जेधारी द्वारा नवीन रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र लगाये जाने पर धारा 251 ए में प्रावधान नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सुवांस की जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 284 के खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0759 है. व खसरा नम्बर 149 रकबा 0.5817 है0 भूमि प्रार्थी के खाता में दर्ज न होकर, प्रार्थी के पिता दूधालाल की सहखातेदार हि. 1/5 में दर्ज है अर्थात प्रार्थी टीनेन्ट नहीं है। प्रकरण में अन्य 11 सहखातेदारो को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उनकी लिखित सहमति पेश की गई है। धारा 251 ए (1) आर.टी.एक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है –

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where (i) a **tenant** needs to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

उपरोक्त प्रावधानो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन पेश हस्तगत प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषनीय नहीं होने से खारीज योग्य है।

(ii) रास्ते की अति आवश्यकता होना:– पैरोकार सरकार द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2022/643 दिनांक 22.04.2022 से पेश जवाब मय मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस एवं ग्राम सुवांस के ख.नं. 149 व 129 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता के खाते व कब्जे की आराजी ख0नं0 149 तक पहुंच हेतु रिकार्डेड रास्ता ख.नं. 129 से होकर उपलब्ध है जो मौके पर चालू है और आसानी आ जा सकते है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता ख.नं. 129 प्रार्थी के पिता की आराजी से आगे तक जाता है और कही भी अवरूद्ध नहीं है। ख.नं. 129 से होकर रिकार्डेड पहूँच मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा 146 की उत्तरी मेड से रास्ता चाहा गया है जो प्रार्थी की सुविधा के लिए चाहा जाना जाहिर होता है। धारा 251 ए के अधीन किसी काश्तकार को उसकी सुविधा के अनुसार नवीन रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

अप्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत जगदीश बनाम केसराराम 2021(2) आर.आर.टी 1286 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी की सुविधा के लिए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है"।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

13

अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते उपलब्ध होने से नवीन रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – पत्रावली पर उलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर की रास्ते बावत् तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.04.2022 के अनुसार प्रार्थी की ग्राम सुवांस की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 147 व 149 तक पहुंच हेतु ख.नं. 129 गे.मु रास्ते से होकर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो मौके पर चालू है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण एवं तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 22.04.2022 तथा न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण सं. 02/2020 बालचन्द बनाम बापूलाल व अन्य की आदेशिका दिनांक 28.04.2022 के अनुसार प्रार्थी के ग्राम सुवांस की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 147 व 149 टीनेन्ट नहीं होने से धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होने और वादग्रस्त आराजी पर रिकार्डेड चालू पहूँच मार्ग उपलब्ध होने व सुविधाजनक रास्ता चाहे जाने आदि आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.18 12:15:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner